छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 117/2009

1. श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, – अपीलार्थी
थानखम्हरिया, वार्ड कमांक–3,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 16 सितंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री गोपाल प्रसाद शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष दिनांक 26.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.09.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील पर आदेश पारित कर तत्काल संबंधित विभाग से जानकारी बुलाकर देने के निर्देश दिये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.12.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देने के लिए जन सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, शिकायत शाखा, कलेक्टर कार्यालय को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 09.09.2009 को प्रस्तुत किया गया। उत्तर में उन्होंने बताया कि कई विभागों से संबंधित जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त शिकायतों से संबंधित जानकारी चाही गई थी तथा उनके द्वारा सभी विभागों को लिखा गया था, जिसके कारण जानकारी देने में विलंब हुआ और अधिकांश विभागों द्वारा सीधे अपीलार्थी को जानकारी भेजी गई है। अतः उपरोक्त उत्तर पर विचार करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद मान्य किया जाता है। प्रकरण में जानकारी छिपाने के संबंध में कोई दुर्भावना नहीं थी, अतः उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु प्रभारी अधिकारी, शिकायत शाखा को भविष्य हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि अब सूचना के आवेदनों पर और तत्परता से कार्य किया जाकर समयावधि में जानकारी दी जावे। इस प्रकरण में अब कुछ विभागों से संबंधित शिकायतों पर जानकारी दिया जाना शेष है, अतः जन सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, शिकायत शाखा को निर्देश दिये जाते हैं कि शेष संबंधित रिकार्ड का अपीलार्थी को एक सप्ताह में निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और तत्पश्चात् 15 दिवस के अन्दर शेष जानकारी भी उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 300/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com